प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 141352/55114

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (गुना), मध्यप्रदेश

स्कूल: HINDUPAT PUBLIC SCHOOL

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता / नवीन मान्यता

सत्र - 2022-23

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2022.05.05 15:00:43 +05:30
Reason: Issued By: deo guna

प्रति,

प्रबंधक (HINDUPAT PUBLIC SCHOOL)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 09/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - HINDUPAT PUBLIC SCHOOL डाइस कोड - 23070119507 स्कूल क्रमांक - PS 55114 को कक्षा प्री प्राइमरी-केजी-1 से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

• मान्यता विस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबंद्दता की कोई बाध्यता किसी भी रुप मे विवक्षित नही होगी

• स्कूल निःशिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार-अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।

• स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात मे निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रुप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम कीधारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।

• पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा ।

• सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस क संग्रह नही करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नही अपनाएगा ।

• स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नही करेगा -

 - (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |

• स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -

 - किसी स्कूल मे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उतीण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
 - अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते है, उन्हे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
 - शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के आधीन विनीरदृष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा
 - प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी

• स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा

• अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

• स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनिदृष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे | अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

Chairman/Secretary/Treasurer
HINDUPAT PUBLIC SCHOOL

स्कूल का क्षेत्रफल

विवरण	आवेदन मे दर्ज
स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	10408
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	3882
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	6526

अधोसंरचना का विवरण

विवरण	संख्या	औसत आकार(वर्ग फिट मे)
कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	10	400
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	2	400
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	2	400
भोजनालय-सह-भण्डार	1	50

पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का विवरण

विवरण	बोर्ड

स्कूल मे उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण

विवरण	आवेदन मे दर्ज	फोटो
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है	हाँ	
पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
खेलकूद एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
पुस्तकों की संख्या	900	
पत्रिकाएं/समाचार पत्र	3	
पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	
पेयजल सुविधा की संख्या	2	
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	2	
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	2	
विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है	हाँ	

नामांकन एवं शुल्क का विवरण

कक्षा	कुल सीट	कुल नामांकित छात्र	स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें	वार्षिक शुल्क

विद्यालय के प्राचार्य अथवा ट्रस्ट/सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव का प्रमाणीकरण

विवरण	हाँ / नहीं
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र व्दारा संधारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है।	हाँ

Chairman/Secretary/Treasurer

प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी व्दारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रहेगा।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखमे या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा जारी ऐसे अनुदेषों के पालन का वचन देता है।	हाँ
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल व्दारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निर्वहन के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रषासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा।	हाँ
विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी व्दारा निर्धारित अधिकथित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।	हाँ

मान्यता संबंधी दस्तावेज

विवरण	अपलोड है (हाँ / नहीं)

स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

कक्षा	विषय	पुस्तक	लेखक	आईएसबीएन न.	अधिकतम खुदरा मूल्य

अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

शिक्षक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक अर्हता विषय सहित	व्यावसायिक अर्हता	अध्यापन अनुभव(महीनों मे)	नियुक्ति दिनांक	कक्षा जिसमे पढ़ाते हैं

अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा

ग्राम / वार्ड	पड़ोस का प्रकार

- लेखे सपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड अकाउंट द्वारा स्त्यपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा | प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी |
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड़ नंबर 55114 एवं डाइसकोड़ (DISE) 23070119507 है | इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किए जाएँ
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय –समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेषो का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तो कि निरन्तर पूर्ति सुनश्चित करने हेतु जारी किए जाए |
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा |
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी |
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधो और मान्यता की शर्तो का उल्लघन पाये जाने तथा सिद्ध हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी |

Chairman/Secretary/Treasurer
HINDUPAT PUBLIC SCHOOL
ARON, GUNA (M.P.)